भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5647

दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण

5647. डॉ. मन्ना लाल रावतः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए कोई नीति शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार की नीतियों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं देने का कोई प्रावधान है और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था हेतु कोई भावी रणनीति है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): भारत ने एनएफएचएस-5 (2019-21) के अनुसार 2.0 की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) हासिल की है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के साथ जुड़ा हुआ है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय माता और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के सही समय और अंतराल के बारे में जागरूकता बढ़ाकर, परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता प्रदान करके और प्रजनन का प्रबधंन करने के लिए राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में राज्यों द्वारा प्रस्तावित बजट को अनुमोदित करके प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त करने और उन्हें बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाएँ नीचे दी गई हैं-

i. **विस्तारित गर्भनिरोधक विकल्पों** में कंडोम, संयुक्त रूप से खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियां, अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (आईयूसीडी), नसबंदी, इंजेक्शन योग्य गर्भनिरोधक एमपीए (अंतरा कार्यक्रम), सेंटक्रोमन (छाया) और आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां शामिल हैं।

ii. गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए तेरह राज्यों में **मिशन परिवार विकास** लागू किया गया।

iii. **नसबंदी करवाने वालों के लिए मुआवजा योजना** लाभार्थियों को मजदूरी की हानि के लिए मुआवजा प्रदान करती है।

iv. **पोस्ट-पार्टम** अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (पीपीआईयूसीडी), गर्भपात के पश्चात अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (पीएआईयूसीडी) और पोस्ट-पार्टम नसबंदी (पीपीएस) के रूप में **गर्भावस्था के बाद के गर्भनिरोधक** हैं।

v. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार नियोजन और सेवा प्रदायगी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष **'विश्व जनसंख्या दिवस अभियान' और 'पुरुष नसबंदी पखवाड़ा'** मनाया जाता है।

vi. आशा कार्यकर्ताओं **द्वारा घर पर गर्भनिरोधकों की प्रदायगी ।**

vii. सरकार स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन संबंधी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए **परिवार नियोजन संभार तंत्र प्रबंधन सूचना प्रणाली** (एफपीएलएमआईएस) कार्यान्वित कर रही है।

*****